जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 148 प्रभात जालोर, मंगलवार 3 सितम्बर, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'हम सरकार के वरिष्ठ पार्टनर हैं'

भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव (2025) के पहले यह सत्य स्थापित कर देना चाहती है

- एक-एक करके केन्द्रीय सरकार के सहयोग से मु.मंत्री नीतीश कुमार पर हावी होती जा रही भाजपा बिहार में।
- इस रणनीति का पहला संकेत था केन्द्रीय सरकार में कोल सचिव अमृत लाल मीणा को बिहार का मु.सचिव बनाना। नीतीश कुमार अपने नज़दीकी प्रत्याता अमृत को सी.एस. नियुक्त करने के लिए दबाव बना रहे थे।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्याता अमृत से ई.डी. ने कुछ समय पूर्व पूछताछ की थी, सड़क निर्माण के कुछ बड़े टेण्डरों के बारे में।
- भाजपा की घेराबंदी का दूसरा संकेत था, आलोक राज की बिहार के नये डी.जी.पी. के रूप में नियुक्ति।
- आलोक राज को डी.जी.पी. बनाने की बात जे.डी.यू. व आर.जे.डी. गठबंधन की सरकार के दौरान भी चली थी, पर, भाजपा से उनकी नज़दीकी देखते हुए उन्हें डी.जी.पी. नहीं बनाया गया था।
- अब बिहार के रहने वाले, आई.आर.एस. अफसर राहुल नवीन भी ई.डी. के नये निदेशक नियुक्त हुए हैं।
- मु.मंत्री के दो करीबी अफसर, उनके सचिव दीपक कुमार व संजीव हंस से भी ई.डी. ने पूछताछ की व हंस के ठिकानों पर तो छापा भी मारा है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। जद(यू) के प्रवक्ता पद से के.सी. त्यागी का हटना या कहें कि स्वेच्छा से हटने की पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। इनमें से एक है बिहार के नए मुख्य सचिव के पद पर कोयला सचिव अमृतलाल मीणा की नियुक्ति की उम्मीदें थी कि, वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यात अमृत जिन्हें नीतीश का करीबी माना जाता था, को मुख्य सचिव बनाया जाएगा पर जब यह नहीं हुआ तो अमृत निजी कारणों से एक महीने की छुट्टी पर घर चले गए।

समझा जाता है कि कुछ दिन पहले, एन्फोर्समेन्ट डायरेक्ट्रेट (ई.डी.) के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया था तथा सड़क-निर्माण एवं अन्य मामलों में हुई डील के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगे थे, हालाँकि इन मामलों में कोई विधिवत रेड नहीं डाली गई थी। नौकरशाही में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, जिसके अन्तर्गत, आलोक राज बिहार के नये डी.जी.पी. बनाये गये हैं। कुछ वर्ष पहले, जब जे.डी.यू. और आर.जे.डी. मिलकर राज्य की गठबन्धन सरकार चला रहे थे, इस पद के लिए आलोक राज के नाम पर विचार हुआ था। उस समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वे कथित रूप से भाजपा के नजदीक हैं।

इसलिये प्रश्न यह है जब केन्द्र सरकार जे.डी.यू. के समर्थन पर अत्यधिक निर्भर है तो फिर नीतीश कुमार शीर्ष नौकरशाहों की नियुक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

दरअसल, केन्द्र सरकार तथा भाजपा उनकी गर्दन पर अपनी पकड़ बढ़ाती जा रही प्रतीत हो रही हैं। कुछ महीने पहले, ऐसी अफवाह थी कि ई.डी. ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के बेटे से पूछताछ की है। इससे पहले, ई.डी. ने बिहार केडर के आई.ए.एस. अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ पूरे लवाजमे के साथ विधिवत छापा मारा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने आर.जे.डी. के पूर्व विधाकयक गुलाब यादव के साथ मिलकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। संयोगवश, दीपक कुमार तथा संजीव हंस - दोनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटनाएं, तथा इनके साथ ही राहुल नवीन (बिहार-निवासी आई.आर.एस. अधिकारी) को पदोन्नत कर नया ई.डी. निदेशक बनाया जना, किसी खास चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं। बिहार में ये अटकलें जोरों पर हैं कि भाजपा नेतृत्व या केन्द्र सरकार ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों के पहले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग की ओर से गत 26 जून को जिला कलेक्टरों को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे गये पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, विधि विभाग और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब

- राजस्थान हाई कोर्ट ने नए पैनल से निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने यह कदम वकीलों द्वारा कलैक्टर को भेजे गए पत्र के आधार पर उठाया, जिसमें अतिरिक्त पैनल बनाने की मांग की गई है।

तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पाराशर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो पूर्व के पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है।

याचिका में कहा गया कि विधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दूसरे स्वतंत्रता संग्राम से गुज़र रहा है पश्चिम बंगाल

पहले स्वतंत्रता संग्राम की तरह आंदोलनकारी सड़कों पर देशभक्ति और अन्याय विरोधी गाने गा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं

- इन दिनों विख्यात गायक अरिजीत सिंह का एक गीत बहुत लोकप्रिय हो रहा ''आर कौबे'' अर्थात् ''अभी नहीं तो कब''। गीत में महिला डॉक्टर पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की मांग की गई है। गीत में सवाल किया है कि और कब आँखें खोलोगे।
- इसके अलावा आंदोलनकारी ''स्वदेशी गान'' भी गा रहे हैं। स्वदेशी गान में कई देश भक्ति गीत हैं जिन्हें पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी गाते थे।
- आंदोलनकारी, रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और विवेकानंद की बड़ी-बड़ी तस्वीरें भी लिए हुए हैं, जो बंगाली जनमानस में बेहद पवित्र और पूजनीय हैं।
- इन सब बातों से तृणमूल, खासकर ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई हैं। पर, जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें आए दिन प्रतिष्ठित हस्तियाँ व आमजन जुड़ते जा रहे हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। लोकप्रिय बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने शोषण तथा तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई के बारे में गाने लिखकर बंगाल में धूम मचा दी है। सिंह ने एक गीत लिखा है जिसकी धीम है ''यह अन्याय अब और नहीं।''

स्ट्राइक कर रहे राज्य के जूनियर डॉक्टरों ने आज एस्प्लनाड क्षेत्र की बैनटिंक स्ट्रीट और फियर्स लेन के पास एक सिटी सैंटर में धरना दिया। भारी संख्या में एकत्रित छात्र मांग कर रहे थे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को याचिका सौंपने के लिए उन्हें पुलिस मुख्यालय के अंदर जाने दिया जाए। ये लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तथापि, इन लोगों को टोका गया था एस्प्लनाड एरिया के आगे नहीं जाने दिया गया। छात्र, अरिजीत सिंह लिखित गाना गा रहे हैं। गाने में ''अभया'' या निडर को न्याय दिलाने का आह्वान किया गया है।

रविवार को बंगाल सिविल सोसायटी द्वारा राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के विरूद्ध कई प्रदर्शन हुए।

ऐसे ही एक जुलूस में रामकृष्ण मिशन के पूर्व छात्रों ने मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने यही नारा दोहराते हुए रेप तथा हत्या की पीड़िता अभया के लिए न्याय की मांग की। रामकृष्ण स्कूलों के भूतपूर्व छात्रों ने भी ममता बनर्जी द्वारा रामकृष्ण की लोकप्रिय उक्तियों के दुरुपयोग पर आक्रोश जताया।

ममता ने, प्रदशर्नकारियों तथा जूनियर डॉक्टरों के विरूद्ध प्रतिशोध के लिए अपने समर्थकों को भड़काने के लिए भी रामकृष्ण के कथनों का दुरुपयोग किया। पूर्व छात्रों ने विरोध मार्च के दौरान श्री रामकृष्ण, माँ शारदामाई एवं स्वामी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी के करोड़ों रुपये के घोटाले को गंभीरता से नहीं ले रहा विधि विभाग?

सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी के लिए मुख्य सचिव को आश्वासन देने के बावजूद विधि विभाग बैकफुट पर आया

- ज्ञात रहे कि मुख्य सचिव ने पिछले दिनों भंडारण निगम और कृषि विभाग से इस प्रकरण की रिपोर्ट मांगी थी, जिसके जवाब में विधि विभाग का ढुलमुल रवैया उजागर हुआ है।
- मुख्य सचिव को पिछले दिनों विधि प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की उचित पैरवी के लिए ''सॉलिसिटर जनरल'' और अतिरिक्त महाधिवक्ता को तमाम जानकारियां दी जाएंगी।
- इस मामले में मुख्य सचिव द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में सामने आया है कि 1 अगस्त को विधि विभाग के जूनियर अफसरों ने इस मामले में यहां तक कह दिया कि विधि विभाग ने इस स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 2 सितम्बर। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 16 मई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी और भंडारण निगम के बीच अनुबंध की आड़ में करोड़ों रुपये के घोटाले का जो आरोप लगाया था, उस पर मुख्य सचिव ने गत 21 मई को ही संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में भंडारण निगम व कृषि विभाग ने जवाब में अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजी है।

इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले पर विधि प्रमुख सचिव के साथ 24 जुलाई को एक बैठक ली थी, जिसमें विधि प्रमुख सचिव ने मुख्य सचिव को बताया कि, इस मामले की पैरवी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मामला अत्यन्त गंभीर है, इससे जुड़ी तमाम तमाम जानकारियां ''सॉलिसिटर जनरल'', तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता को दी जायेंगी। हैरानी की बात है कि मुख्य सचिव को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि विधि विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद इस मामले की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक भी बार पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। दूसरी ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने श्री शुभम लॉजिस्टिक द्वारा अनुबंध की शर्तों, जैसे कि गोदामों में रखी 3000 करोड़ की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आर.पी.एस.सी. का पूर्व सदस्य रामूराम राईका रिमांड पर

जयपुर, 2 सितंबर (का.सं.)। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय की लिंक कोर्ट अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-5 ने एस.आई. भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य रामू राम राईका को 7 सितंबर पर पुलिस रिमांड

- पेशी के दौरान राईका द्वारा कथित रूप से वकील को थप्पड़ मारने की बात पर वकीलों ने कोर्ट रूम की घेराबंदी कर दी, बाद में राईका ने माफी भी मांगी।

पर एस.ओ.जी. को सौंप दिया है। वहीं, पेशी के दौरान राईका द्वारा कथित रूप से एक वकील को थप्पड़ मारने की बात सामने आई। इस पर वकीलों ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट कक्ष के बाहर घेराबंदी कर दी और राईका को बाहर निकालने की मांग करने लगे। आखिर में बार पदाधिकारियों ने वकीलों की समझाइश की। वहीं बताया जा रहा है कि राईका ने भी बाद में माफी मांग ली।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेबी चेयरमैन माधवी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए

कांग्रेस ने कहा, सेबी चेयरमैन जब आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की जांच कर रही थीं, फैसले दे रही थीं, उसी समय उससे भारी वेतन भी ले रही थीं

- कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी प्रमुख ने 2017-2021 के बीच आई.सी.आई.सी.आई. से वेतन के रूप में 12.63 करोड़ रूपए लिए थे और 2021-23 में आई.सी.आई. प्रुडैंशियल से 22.41 लाख रूपए लिए थे।
- खेड़ा ने कहा कि माधवी बुच ने सेबी में रहते हुए सरकार से वेतन के रूप में 3.30 करोड़ रूपए लिए, जबकि इस दौरान आई.सी.आई.सी.आई. से इससे 5.09 गुना अधिक, 16.80 करोड़ रूपए प्राप्त किए।
- खेड़ा ने पूछा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अपॉइन्टमैंट कमेटी ने माधवी बुच को नियुक्त किया, क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। विपक्षी कांग्रेस एस.ई.बी.आई. (सेबी) प्रमुख माधवी पुरी बुच पर, नये तथ्यों के साथ दबाव बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस ने उनसे कहा है कि वे, उनके कथित हित-संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रैस्ट) के चलते इस्तीफा दें।

बुच पर प्रहार करते हुये, कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, ''वर्तमान सेबी अध्यक्ष ने 2017 में जब से अपना पद संभाला है, वे न केवल सेबी से वेतन ले रही हैं, बल्कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में भी ''लाभ का पद'' (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) संभाले हुये हैं तथा आज तक उस बैंक से धनराशि लेती आ रही हैं। 2017 से 2021 के बीच वे सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में रहीं तथा वर्तमान सेबी अध्यक्ष ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से 12.63 करोड़ रूपए प्राप्त किये हैं।''

उन्होंने कहा, ''ऐसे कई हित-संघर्ष हैं, जिनमें सेबी अध्यक्ष लिप्त हैं। अब तक, अडानी-प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही जाँच के हित-संघर्ष पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इससे भी ऊपर, ऐसे अन्य कई हित-संघर्ष हैं, जो एक संस्था के रूप में सेबी को घोर संदेह के घेरे में ला रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने उनके खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस बुच के इस्तीफे की माँग कर रही है। अमेरिका की शॉर्ट-सैलर (हिंडनबर्ग) ने आरोप लगाया था कि बुच और उनके पति धवल बुच के ऐसी अज्ञात विदेशी कंपनियों में शेयर हैं, जिनका उपयोग अडानी के मनी-लॉन्डरिंग के घोटालों में किया जाता है।

यहाँ पार्टी मुख्यालय पर एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुये, खेड़ा ने कहा, ''द सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस.ई.बी.आई.-सेबी) के पास भारतीय मध्यम वर्ग के पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। सर्वविदित है कि मध्यम वर्ग के लोग दुख-सुख उठाकर एक-एक पैसा बचाते हैं तथा अपने भविष्य को सुरक्षित करने की आशा में इसका निवेश करते हैं। फिर भी, जहाँ लोग सेबी पर भरोसा करते हैं क्योंकि उसके अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) करते हैं, वहीं, सेबी हम सबको मूर्ख समझती एवं बनाती प्रतीत होती है।''

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंशियल से 22.41 लाख रूपए प्राप्त किये हैं। यह भी सेबी (एम्प्लॉयीज सर्विस) रेग्यूलेशंस, 2001 की धारा 54 तथा सेबी'ज कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रैस्ट्स फॉर बोर्ड ऑफ मैम्बर्स (2008) की धारा 5 का उल्लंघन है।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री रेड्डी को ''कैश फॉर वोट'' मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 2015 के कथित कैश फॉर वोट घोटाला मामले

- रेवंत रेड्डी को विधान परिषद चुनावों में पार्टी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफैन्सन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देते हुए ए.सी.बी. ने 31 मई 2015 को गिरफ्तार किया था।

में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सार्वजनिक बयान देने में कुछ संयम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियाँ कीं बुलडोज़र ''न्याय'' के खिलाफ

बहस इतनी गर्मा गरम थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व वरिष्ठ अधिवक्ता, दुष्यंत दवे के बीच बहसबाजी ''डर्टी'' (असभ्य) न हो जाये

- सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी व्यक्ति का मकान केवल इसलिये नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। अगर वह दोषी करार भी दिया जाए तो एक व्यक्ति की गलती या जुर्म का खामियाज़ा परिवार के अन्य लोगों को देना पड़े, यह भी न्यायसंगत नहीं है।
- तुषार मेहता ने कहा कि मकान तभी तोड़ा जाता है, जबकि न्यायपालिका के नियमों की अवहेलना करते हुए मकान का निर्माण हुआ हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि गाइडलाइन्स होनी चाहिए, जिनकी अनुपालना हो, कोई निर्माण ध्वस्त करने से पहले।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान बुलडोज़र न्याय पर कड़ा सवाल उठाया कि कोई भी घर कैसे तोड़ा जा सकता है सिर्फ इसलिए कि वह किसी आरोपी का है या फिर क्रिमिनल केस में दोषी व्यक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भाजपा शासित कुछ राज्यों की राजनीति प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने घर तोड़े जाने के सम्बंध में अखिल भारतीय गाइडलाइन्स बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि कोई भी इमारत सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ी जा सकती है कि वह किसी आरोपी की है।

याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कोर्ट से पूरे देश में बुलडोज़र न्याय का चलन ना हो जाए इसके लिए निर्देश दिए जाए।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बैंच को संबोधित करते हुए सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि किसी की भी अचल सम्पत्ति को इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता कि क्योंकि वह किसी अपराधिक केस में शामिल व्यक्ति या दोषी से जुड़ी है ऐसा तब ही होता है जब वह सम्पत्ति गैर कानूनी हो।

जस्टिस गवई ने कहा तो आप मान रहे हैं कि फिर हम इसके आधार पर दिशा-निर्देश जारी करेंगे, किसी के आरोपी होने पर ही उसकी सम्पत्ति कैसे ठहराई जा सकती है।

बैंच ने कहा अगर इमारत गैर कानूनी है तो ठीक है पर प्रक्रिया तो होनी चाहिए। ऐसे मामले ना हो इसलिए निर्देश क्यों नहीं पास किए जा सकते। पहले नोटिस दीजीए, जवाब देने का कानूनी उपाय करने का समय दिया जाए फिर विध्वंस की कार्यवाही की जाए।

बैंच ने कहा, हम सड़क की राह में आ रहे अवैध निर्माण चाहे वह मंदिर ही क्यों ना हो को नहीं बचा रहे हैं, पर विध्वंस की कोई गाइडलाइन तो होनी ही चाहिए।

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और सी.यू. सिंह जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे थे दिल्ली की जहांगीरपुरी केस का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि कई मामलों में तो किराए पर ली गई सम्पत्ति तोड़ दी गई। सिंह ने कहा उन्होंने 50-60 साल पुराने घर तोड़ दिए क्योंकि किराएदार का लड़का किसी मामले में आरोपी था।

राजस्थान के उदयपुर का मामला भी सामने आया जिसमें एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को चाकू मार देने का मामला था। विश्वनाथन ने कहा, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र उद्दण्ड है तो उसके घर को तोड़ देना सही नहीं है। कोर्ट ने मामले में 17 सितम्बर की तारीख दी है।

जस्टिस गवई ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा कहता है कि अचल सम्पत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। हम देश भर के लिए कुछ गाइडलाइन्स बनाए जाने का प्रस्ताव रखते हैं। ताकि इस मामले को उठा रही चिंताओं का समाधान हो सके हम यू.पी. सरकार के रुख का समर्थन करते है।

कोर्ट में एक बार तो मेहता व दवे के बीच तीखी बहस हुई मेहता ने कहा किसी जमाल ने याचिका की है जिसका घर टूटा वो तो आए ही नहीं फिर उन्होंने दवे की ओर उन्मुख होकर कहा अगर वो उसे ''डटी'' तो दवे ने गुस्से में कहा कि, ''डटी'' मत कहिए, आप हमेशा ''बिलो द बैल्ट'' प्रहार करते है आप सॉलिसिटर जनरल ऐसे काम करते हैं।

इस पर जस्टिस गवई को हस्तक्षेप करना पड़ा।

राहुल ने बुलडोज़र नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की बुलडोजर नीति जन विरोधी है और इस पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

- राहुल गांधी ने कहा कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोज़र ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है।

का वह स्वागत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण ''बुलडोज़र नीति'' पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)